संख्या- 21 /2026/ 171 /चार-2026-2003981

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2026**

विषय- भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3901/सं0नि0-15(110)/2025-26, दिनांक 08 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश (पटल कार्यालय) के पत्र संख्या- 209/वि0स0/प0का0/0(प)/2025 दिनांक 05.12.2025 एवं पत्र संख्या- 05/वि0स0/प0का0/9(प)/2025 दिनांक 09.11.2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 19 जनवरी, 2026 से 21 जनवरी, 2026 तक लखनऊ में आयोजित भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन, 2026 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने के संबंध में निम्नानुसार अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र	दिनांक	स्थान	कार्यक्रम/विधा	संस्था/कलाकार का नाम	कलाकारों की संख्या	अनुमानित मानदेय	किराया	अनुमानित कुल मानदेय
1	19 जनवरी 2026	माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, लखनऊ	बांसुरी वादन	श्री राकेश चौरसिया, मुम्बई	4	5.00 (18%GST 90000)	0.50	6.40
			भजन गायन	श्री साजन मिश्रा, वाराणसी	4	4.00 (18%GST 72000)	0	4.72
3	21 जनवरी 2026	होटल सेंट्रम, लखनऊ	आस्था से कला तक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक यात्रा	कोरियोग्राफर सुश्री मैत्रेय पहाड़ी	30	15.00 (18%GST 270000)	1.00	18.70
4			ब्रज बुन्देलखण्ड, अवध, भोजपुर क्षेत्रों के कलाकार	04 दल	40	4.00	1.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	शोभा यात्रा में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर व्यय	7.50
6	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को आवास एवं भोजन पर होने वाला अनुमानित व्यय	15.00
7	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को स्थानीय स्तर पर यातायात की व्यवस्था हेतु अनुमानित व्यय	3.50
8	कलाकारों हेतु मंच, लाइट, साउण्ड इत्यादि पर होने वाला अनुमानित व्यय	13.00
9	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को कार्यक्रम स्थल पर बैकस्टेज पर होने वाला अनुमानित व्यय	2.50
10	कार्यक्रम हेतु अन्य आकस्मिक प्रकीर्ण व्यय	1.25
	योग- (रूपये सतहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)	**77.57**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय **रू0 77.57 लाख** के सापेक्ष उपरोक्त सारिणी के क्रमांक-8 एवं 9 पर अंकित धनराशि रू0 15.50 लाख को छोड़ते हुए कुल **धनराशि रू0 62.07 लाख (रू0 बासठ लाख सात हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 21 /2026/ 171 (1) /चार-2026-2003981 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।